



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2012/अग्रहायण 6, 1934

No. 602]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2012/AGRAHAYANA 6, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 848(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1964 जहां तक उनका संबंध 'कार्यालय अधीक्षक और मुख्य सहायक' से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, कार्यालय अधीक्षक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यालय अधीक्षक	40* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-2 (9300-34800रू.) + ग्रेड वेतन 4200रू.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,	आवश्यक : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी स्टीम में स्नातक डिग्री। (ii) किसी सरकारी कार्यालय में अनुभव सहित सिविल प्रशासन के लिए मूल नियमों, अनुपूरक नियमों और अन्य नियमों को लागू करने का दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) लेखा / बजट कार्य / और / या स्थापन कार्य का अनुभव। (ii) प्रशासनिक रिपोर्ट बनानेका अनुभव। (iii) दसवीं कक्षा हिन्दी

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8) लागू नहीं होता	(9) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(10) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11) उच्च श्रेणी लिपिक, वेतन बैंड-1, 5200-20200रु., + ग्रेड वेतन 2400 रु. उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा। टिप्पण 1 : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों को, जो प्रोन्नति के लिए विचार परिक्षेत्र में आते हैं, कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, - अध्यक्ष ; 2. कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ; 3. कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य।	(13) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

<p>लिए विचार किए जाने के पूर्व, सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित स्तर 'क' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा और उसे सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, - अध्यक्ष ; 2. कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ; 3. कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ।
<p>टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के</p>	

4423 G/12-2

लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, निम्नलिखित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. 01/10/2011-सीएसबी]

बी. एम. एस. राठौर, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2012

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the posts of 'Office Superintendent and Head Assistant', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Office Superintendent, (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. – The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualification. – No person, –
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Office Superintendent.	40* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay - Rs.4200.	Selection.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 30 years for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)	Essential: (i) Bachelor's degree in any stream of a recognised University. (ii) Two years' experience in application of Fundamental Rules, Supplementary Rules and other rules for Civil Administration including experience in a Government office.	Not Applicable	Two Years for direct recruits and promotes.	By promotion failing which by direct recruitment.

<p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangri sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Desirable: (i) Experience of Accounts/Budget Work/ and/ or Establishment Work. (ii) Experience in preparing administrative reports. (iii) Matriculation with Hindi as a subject. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or Schedule Tribes, If at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>		
---	---	--	--

<p>In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.</p>	<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.</p>
<p>11</p> <p>Promotion: Upper Division Clerks in pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the grade.</p> <p>Note 1: The Upper Division Clerks who are in the zone of consideration for promotion, will have to participate and successfully complete level 'A' training program to be conducted by Institute of Secretariat Training and Management before being considered for promotion to the post of Office Superintendent.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the</p>	<p>12</p> <p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata— Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata— Member. <p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata— Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata— Member. 	<p>13</p> <p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

[F. No. 01/10/2011-CSB]
B.M.S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

